"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 848] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025 — कार्तिक 16, शक 1947

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/205/2025-MED. - छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्र. 28 सन् 2002) की धारा–3 सहपठित धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–
 (एक) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 कहलायेंगे ।
 (दो) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
 (तीन) यह नियम अल्पसंख्यक चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालय में लागू होंगे।

2. परिभाषायें – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
 (क) ''परीक्षा अभिकरण (एजेंसी)'' अथवा ''अभिकरण (एजेंसी)'' से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत अभिकरण (एजेंसी);
 (ख) ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैरक्रीमीलेयर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी;
 (ग) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है, महिला संवर्ग या निःशक्तजन संवर्ग;
 (घ) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है,चिकित्सा महाविद्यालय;
 (ड.) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (छडब), नई दिल्ली;
 (च) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, स्नातकोत्तर डिग्री;
 (छ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
 (ज) "संचालनालय" से अभिप्रेत है, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
 (झ) ''प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है,अभिकरण (एजेंसी) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा;
 (ञ) सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है,छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधीन सेवारत ऐस चिकित्सक जिन्होने नीट पीजी परीक्षा तिथि तक नियमित सेवा अथवा तदर्थ सेवा अथवा संविदा सेवा के तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो;
 (ट) ''बिना संवर्ग'' से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो नियम–2 के उप–नियम (ग) में परिभाषित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत ना आता हो;
 (ठ) ''निःशक्तजन'' से अभिप्रेत है, ऐसा निःशक्तजन/दिव्यांगजन, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के तत्समय लागू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एज्युकेशन रेगुलेशनस् के अनुसार दिव्यांगजन/निःशक्तजन के रूप में आरक्षण का पात्र हो;
 (ड) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
 (ढ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है,पं.दीनदयाल उपध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़;
 (ण) "अभ्यर्थी'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने इन नियमों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया हो;

(त) "दस्तावेज" से अभिप्रेत है, मूल दस्तावेज;

(थ) "अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.)" से अभिप्रेत है,, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी विधियों/नियमों/ अधिसूचनाओं/आदेशों में परिभाषित/घोषित किया गया हो;

(द) "अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) नियतांश" से अभिप्रेत है,, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीयों के प्रवेश हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत सीटें;

(ध) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–13–5/2019/आ.प्र./1–3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 29/05/2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रवेश वर्ष के 31 मार्च के आय गणना के पश्चात् जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिएआय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र धारित करता हो।

3. प्रवेश हेतु पात्रता :–

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हो या ऐसा अभ्यर्थी जिन्होने विदेश से चिकित्सा स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तथा स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन, 2002 परीक्षा विदेश स्नातक परीक्षा में पात्र हो,

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रवेश वर्ष के दिनांक तक इंटर्नशिप पूर्ण की हो,

(घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगया राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत हो,

(ड.) प्रवेश परीक्षा में केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार अधिकृत अभिकरण (एजेंसी) या विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हों।

4. अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु पात्रता एवं विषय निर्धारण की अतिरिक्त शर्तें:–

(क) 1. अभ्यर्थी स्वयं अप्रवासी भारतीय हो अथवा अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक के रक्त संबंध रखने वाले अप्रवासी भारतीय द्वारा प्रायोजित किया जाये।

स्पष्टीकरण :– अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का अभ्यर्थी से पीढ़ी अथवा अथवा दो पीढ़ी के रक्त संबंध जैसे:–पिता, माता, भाई, बहन, भाई बहन की संतान, चाचा, चाचा की संतान, मामा, मामा की संतान, मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी। इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार अथवा तहसीलदार से वरिष्ठ राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

2. **OCI (Overseas citizen of India)**के अभ्यर्थी भी सामान्य श्रेणी की **NRI** सीटों के लिए पात्र होंगे। (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा**W.P.C. 891 of 2021 dated 03-02-2023**में दिये गये निर्देशों के अनुसार)

(ख) अप्रवासी भारतीय नियतांश के लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेज :–

1. विदेश में निवास का प्रमाण हेतु वहाँ का ग्रीन कार्ड/कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैध वीसा सहित/नागरिकता संबंधित सक्षम दस्तावेज/181 दिन अथवा अधिक का कार्य प्रमाण हेतु दस्तावेज/अन्य कोई सक्षम दस्तावेज जो इस बिन्दु की पूर्ति करता हो।
2. एन.आर.ई./एन.आर.आई./समकक्ष बैंक एकाउण्ट की स्टेटमेन्ट कॉपी।
3. प्रायोजक की आय, सम्बंधित पाठ्यक्रम के शुल्क देने योग्य हो तथा शुल्क का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना होगा एवं प्रवेश के समय इसकी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि :– प्रत्येक निजी चिकित्सा महाविद्यालय, प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिन के पूर्व अप्रवासी भारतीय नियतांश में अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा, जो कि अप्रवासी भारतीय नियतांश की अंतिम तिथि होगी।

(घ) अप्रवासी भारतीय नियतांश की विषयवार सीटों का आरक्षण–किसी भी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु सीटों का आरक्षण 2017 में प्रकाशित नियम अनुसार कुल स्वीकृत सीटों का 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इस आरक्षण को लागू करते समय किसी भी स्नातकोत्तर विषय में कुल स्वीकृत सीटों का 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण अप्रवासी भारतीय नियतांश में नहीं किया जा सकेगा। सीटों की गणना दशमलव में होने की स्थिति में दशमलव के मान को छोड़कर केवल पूर्णांक ही मान्य होगा। विषयवार सीटों का निर्धारण संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा, परंतु उपर्युक्त सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।सभी विषय की सीटों के वितरण हेतु निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग प्रारंभ होने के 15 दिन पूर्व आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

उदाहरण :–

1. जैसे यदि किसी महाविद्यालय में जनरल मेडिसीन विषय में कुल 04 सीटें स्वीकृत हैं तो वेअधिकतम 02 सीटों को ही अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु आरक्षित कर सकेंगे।

2. जैसे यदि किसी महाविद्यालय में जनरल मेडिसीन विषय में कुल 03 सीटें स्वीकृत हैं, तो वे अधिकतम 01 सीटों को ही अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु आरक्षित कर सकेंगे।

5. प्रवेश हेतु अपात्रता :–

(एक)ऐसे अभ्यर्थी,जिन्होंने पूर्व में अखिल भारतीय/राज्य कोटे से प्रवेश उपरान्त सीट का परित्याग किया हो या अभ्यर्थी को निष्कासित किया गया हो तो, ऐसे अभ्यर्थी परित्याग/निष्कासन की तिथि से डिग्री हेतु आगामी 03 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमपूर्ण कर लिया है, उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठयक्रम के पश्चात् पाठयक्रम पूर्ण करने की दिनांक से आगामी 03 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अखिल भारतीय कोटे से पिछले तीन वर्षोमें राज्य के स्नातकोत्तर पाठयक्रम मे प्रवेश लिया है वे राज्य कोटे की सीटों हेतु अपात्र होंगे।

(चार) छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एमबीबीएस पाठयक्रम पूर्ण करने के पश्चात अनिवार्य शासकीय सेवा हेतु निष्पादित बंधपत्रछत्तीसगढ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुतना करने वाले अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

6. सीटों का आरक्षण :

(एक) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये 30%, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु 02%, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये 12% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमीलेयर श्रेणी के लिये 14% आरक्षण होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) प्रत्येक श्रेणी में महिला संवर्ग हेतु 30%क्षैतिज आरक्षण होगा।

(तीन) प्रत्येक श्रेणी में निःशक्तजन संवर्ग हेतु 5% क्षैतिज आरक्षण होगा। इसहेतुअभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रवेश वर्ष में जारी दिव्यांग/निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(चार) यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु,राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा अतिरिक्त सीटें सृजित की जाती है, तो कुल सीटों में संस्थावार आर्थिक रूप सेकमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण होगा।

(पांच) प्रवेश वर्ष में उपलब्ध सीटों को उपरोक्तानुसार आरक्षण के आधार पर महाविद्यालय एवं विषयवार आवंटित किया जायेगा।

7. आरक्षित श्रेणी की रिक्त रह गई सीटों का अन्यश्रेणी में परिवर्तन :–

(एक) विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थीना मिलने पर, उन सीटों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

(दो) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रं.9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार श्रेणी परिवर्तन किया जायेगा।

(तीन) ई.डब्लू.एस श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो, रिक्त सीटों को उपरोक्त अनुसार अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित किया जायेगा।

8. आरक्षित श्रेणी के संवर्ग की रिक्त सीटों का परिवर्तन :–आरक्षित संवर्ग की रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित किया जायेगा।

9. सेवारत अभ्यर्थी को निम्नानुसार बोनस अंक दिये जायेंगे :–

(क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दुर्गम अनुसूचित क्षेत्रमें सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 10 प्रतिशत अंक होगा।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 03 प्रतिशत अंक होगा।

(ग) अधिकतम प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 30 प्रतिशत अंक होंगे।

(घ) किसी वर्ष की सेवा उपरोक्त (क) एवं (ख) में चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से पूर्ण होने की दशा में, उस वर्ष को सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में सेवा का वर्ष मानकर बोनस अंक की गणना की जायेगी।

10. प्रावीण्य सूची :–प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में नियम (9) के अन्तर्गत प्राप्त बोनस अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनायी जायेगी।

11. प्रवेश में वरीयता :–

(क) राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर सर्वप्रथम उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने या तो पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ से संबद्ध चिकित्सा चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी हो।

(ख) उपरोक्त उप–नियम (क) में उल्लिखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इन रिक्त सीटों पर, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने नियम 11 (क) में उल्लेखित के अतिरिक्त किसीअन्य चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो।

12. छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से दिया जायेगा, पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में

यदि किसी अभ्यर्थी को कोई विषय एवं संस्था एक बार आवंटित हो चुका है, तो उसे आगामी किसी भी चरण में पुनः वही विषय एवं संस्था आवंटित नहीं किया जाएगा।

13. शुल्कः—नियम (12) के तहत् काउंसिलिंग प्रक्रिया में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे,जिन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया हो।

14. प्रवेश :—

(क)ऑनलाईन प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न की जाएगी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। सीटें रिक्त रह जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व चरणों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। काउंसिलिंग के सभी चरण ऑनलाईन होंगे। प्रत्येक चरण में पंजीयन की सुविधा होगी। काउंसिलिंग के प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध होगा।प्रथम चरण के उपरांत आगामी सभी चरणों में आवंटन उपरांत प्रवेश नहीं लेने अथवा प्रवेश लेकर सीट त्याग करने पर पंजीयन राशि राजसात की जायेगी। काउंसिलिंग की प्रकिया का विस्तृत विवरण संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष आवेदन की प्रथम सूचना के साथ विवरणिका में प्रकाशित किया जायेगा एवं जिसकोआगामी वर्षो मेंNMC,MCC एवं केन्द्र/राज्य शासन द्वारा जारी दिशा—निर्देश अनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

(ख) प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पात्रता से संबंधित समस्तमूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी करानी होगी। स्क्रूटनी ना कराने की स्थिति अथवा स्क्रूटनी में अपात्र होने पर अथवा निर्धारित तिथि तक फीस जमा कर प्रवेश नहीं लेने पर, अभ्यर्थी, प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।

15. छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत सेवा की अनिवार्यता एवं सीट परित्याग नियम :

(क)एम.डी./एम.एस. सीटों के अन्तर्गत राज्य कोटे से अथवा अखिल भारतीय कोटे से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, कि वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, दो वर्षों की कालावधि तकछ.ग. शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्य करेगा। इस हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों को रू.50 लाख एवं आरक्षित अभ्यर्थियों को रू.40 लाख का बंध पत्र निष्पादित करना होगा।

(ख) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/केन्द्र शासन द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिया जाता है, तोरू. 25 लाख (रू.पच्चीस लाख) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं रू. 20 लाख (रू. बीस लाख) आरक्षित वर्ग हेतु अभ्यर्थी द्वारा शासन को देय होगा। विशेष परिस्थिति में यदि पाठ्यक्रम के दौरान कोई पूर्व में पात्र मेडिकली फिट छात्र यदि मेडिकली अनफिट (Medically Unfit) हो जाता है, जिसे राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु अनफिट बताया जाता है,तो बंधपत्र (बॉण्ड) में छूट शासन द्वारा दिया जा सकेगा।

16. मिथ्या जानकारी देना अथवा मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करना :— यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी महाविद्यालय में मिथ्या जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लिया है, तोसंबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान किसी भी समय बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश रद्द किया जा सकेगा एवं उसके विरूद्ध मिथ्या जानकारी देने अथवा मिथ्या दस्तावेज देने संबंधित विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

17. प्रावीण्य सूची की समाप्ति एवं रिक्त सीटों का कालातीत होना : केन्द्र शासन या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रवेश हेतु, समय–सारणी अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त, प्रावीण्यता सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीटें कालातीत हो जायेंगी।

18. प्रवेश प्रक्रिया में उद्‌भूत किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में,आयुक्त/संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय बंधनकारी होगा।

19. निरसन,– छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 एतद्द्वारा निरसित किये जाते है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

परिशिष्ट– एक

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी.....निवासी.....तहसील..... जिलाछत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालको में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी –
 (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,

4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है।

उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के पश्चात्, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :

5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्य-प्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात :–
 (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।
 (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडीयट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।
 (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तवित निवासी होंगे:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत्, जो उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

परिशिष्टि – दो

प्रारूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण–पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़
फोन नं.–0771–2234451, फैक्स नं. 0771–2222212 E-mail : cgdme@rediffmail-com

क्रमांक / / संचिशि / 2025 रायपुर, दिनांक /

प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री, पिता– श्री, उम्र–.....वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक.....पर दिनांक को आवेदक के पूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत उनकी शारीरिक निःशक्ततापाई गई। उनकी कुल निःशक्तता प्रतिशत है । जो कि मेडिकल / डेन्टल / नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एनएमसी द्वारा निर्धारित नवीनतम मापदंड के अनुसार..... पाया गया।

पहचान का निशान–

(अध्यक्ष) राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य) राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य) राज्य मेडिकल बोर्ड

परिशिष्ट– तीन

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण–पत्र का प्रारूप "अ"

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

सेवा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ.पिता/पति

ने दिनांकसे दिनांककी अवधि में कुलवर्ष.....माह तक चिकित्सक/शिक्षक के रूप में इस संचालनालय के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

(दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र)में निर्बाध सेवा प्रदान की है ।

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को, जिनका नीट प्राप्तांकहै के, प्राप्तांक का लागू बोनसप्रतिशत % के, बोनस अंक (शब्दों में)..... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की पात्रता है ।

नोट : "सेवारत अभ्यर्थी" वे ही पात्र होंगे, जिन्होने संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन सेवारत चिकित्सक के रूप में परीक्षा वर्ष की नीट पीजी परीक्षा तिथि तक छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ/संविदा/नियमित के 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे।

संचालक
चिकित्सा शिक्षा

परिशिष्ट – चार

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण–पत्र का प्रारूप "ब"

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सेवा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ.पिता/पति.....ने दिनांक.....से दिनांक.....की अवधि में कुलवर्ष.....माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध सेवा प्रदान की है।

(क)विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

(ख)विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

(ग)विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

(घ)विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को जिनका नीट प्राप्तांक है,कोप्राप्तांक का लागू बोनसप्रतिशत % के, बोनस अंक (शब्दों में).. है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की पात्रता है।

नोट :वे "सेवारत अभ्यर्थी" ही पात्र होंगे, जिन्होने संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन सेवारत चिकित्सक के रूप में परीक्षा वर्ष की नीट पीजी परीक्षा तिथि तक छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ/संविदा/नियमित कें 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे।

संचालक

स्वास्थ्य सेवायें

परिशिष्ट– पाँच

(250/– के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य–शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमडी/एमएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।

2. यह कि मुझे वर्ष में आयोजित प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयमें शैक्षणिक सत्र में सीट आबंटित की गई है ।

3. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं।

4. यह कि वर्ष की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....रायपुर दिनांक छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भॉति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियॉ दी गई हैं, जिसे मैंने भलीभांति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम के सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।

5. मैं एतद्द्वारा बन्धन पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/एमएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त, राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।

6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में, शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरी प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....निवासी.....की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपयेशब्दों में (रूपए.....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती, तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात्, मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जायेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जायेगा।

9. एमडी/एमएस पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना, विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि छ.ग. शासनके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी नहीं होता है, तो यह बंधपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

गवाह : –

हस्ताक्षर

1.....हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

2..... हस्तासक्षर

आवेदक की फोटो	प्रतिभूतिकर्ता की फोटो	गवाह नं. 1 की फोटो	गवाह नं. 2 की फोटो
आवेदक	प्रतिभूतिकर्ता	गवाह 01	गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....निवासी

उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में, बन्धपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता (बिन्दु क्रमांक 05)

परिशिष्ट – छः

(250 / – के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र / पुत्रीआत्मज / आत्मजा श्री..... . निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी. / एम.एस.) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक दिनांक '' छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम –'' एवं ''निर्देशिका'' में निहित प्रावधानों को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।

3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :–

"यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग(NMC)/चिकित्सा परामर्श समिति (MCC)द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त शिक्षण सत्र् हेतु एम.डी./एम.एस. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा रू. 25 लाख (रू. पच्चीस लाख) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं रू. 20 लाख (रू. बीस लाख) आरक्षित वर्ग हेतु शासन को अभ्यर्थी द्वारा देय होगा "

पता

फोन नं.

अभिभावक

अभिभावक का फोटो
अभिभावक

प्रतिभूतिकर्ता का फोटो
प्रतिभूतिकर्ता

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह : –

1.....

2.....

प्रतिभूतिकर्ता

गवाह नं. 01 का फोटो
1. गवाह

गवाह नं. 02 का फोटो
2. गवाह

हस्ताक्षर

नाम :.....

पता :.....

.....

.

परिशिष्ट – सात

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट– आठ

अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी की लागू आय सीमा से ज्यादा आय है किन्तु शासन के नियमानुसार किसी प्रकार की छूट या रियायत का पात्र है तो, उस छूट रियायत प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को सक्षम कार्यालय अथवा आयोग से छूट बाबत् प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में)प्रस्तुत करना होगा।

परिशिष्ट – नौ

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में**EWS**प्रमाण पत्र ।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.

छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग रायपुर,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर–492002

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2025

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:18:30

चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विवरणिका 2025

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध चिकित्सा स्नातकोत्तर की कुल प्रवेश सीटों की संख्या का 50 प्रतिशत सीट संख्या संस्थावार अखिल भारतीय कोटा हेतु संस्था द्वारा प्रेषित किया जाता है तथा जिन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु नियमानुसार अतिरिक्त सीटें वृद्धि की गई है, उक्त संस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु कुल प्रवेश सीटों की संख्या का 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) No. 689 of 2017 के आदेश एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर दिनांक 03 जुलाई 2017 अधिसूचना क्रमांक एफ 21–10/2017/नौ/55–4 के अनुसार सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में कुल उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों का 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश में उपलब्ध कराया जाता है।

1.3 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1.1 एवं 1.2 के आरक्षण उपरांत छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2025 में उल्लेखित आरक्षण प्रतिशत अनुसार श्रेणीवार एवं संवर्गवार आरक्षण दिया जाता है।

1.4 केन्द्र शासन/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित समय–सारणी अनुसार चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग प्रक्रिया की जाती है।

2.1 काउंसिलिंग संबंधित सभी सूचनाएँ वेबसाईट www.cgdme.in में प्रदर्शित की जायेंगी। अतः सभी संबंधित उक्त वेबसाईट का नियमित अवलोकन करें।

2.2 सभी आवेदक चिकित्सा स्नातकोत्तर नियम 2025 को पढ़कर ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो।

2.3 आवेदन एवं शुल्क :– प्रवेश वर्ष की NEET PG में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु काउंसिलंग में सम्मिलित होने के लिए केवल एक बार ऑनलाईन आवेदन, आवेदन शुल्क सहित उपलब्ध होगा। जिस हेतु ऑनलाईन आवेदन शुल्क भुगतान निम्न तालिकानुसार :–

क्रमांक	विवरण	आवेदन शुल्क (रूपये)
1.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	रू. 2000/– (रूपये दो हजार)
2.	निजी चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	
3.	अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) सीट हेतु	रू. 10000/– (रूपये दस हजार)

ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध होगी।

2.4 भारत के राजपत्र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिसूचना नई दिल्ली 05 अप्रैल 2018 सं.भा.आ.प. –18(1)/2018–मेड./100818 के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस शासकीय संस्था की सीटों हेतु रू0 पच्चीस हजार **(आरक्षित श्रेणी हेतु रू0 बारह हजार पांच सौ)** एवं निजी संस्था की सीटों हेतु रजिस्ट्रेशन फीस रू0 दो लाख लागू होगी तथा जो द्वितीय चरण एवं आगामी चरणों में आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेने पर नियमानुसार राजसात कर ली जायेगी। **(नोट : केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर यथावत लागू होंगे)**

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:21:52

2.5 बिन्दु क्रमांक 2.3 के अनुसार आवेदकों में सेवारत अभ्यर्थी के बोनस अंक को जोड़कर प्रावीण्य सूची निर्मित की जायेगी तथा प्रावीण्य सूची एवं आवेदकों के संस्था चयन प्राथमिकता क्रम अनुरूप प्रावीण्यतानुसार ऑनलाईन आवंटन दिया जायेगा।

2.6 काउंसिलिंग की प्रक्रिया चार चरणों में ऑनलाईन रूप से की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो काउंसिलिंग के चरणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सभी चरणों की काउंसिलिंग ऑनलाईन रूप से की जाएगी। प्रत्येक चरण में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक चरण में आवंटित अभ्यर्थी को पात्रता संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा करवाना अनिवार्य होगा। संवीक्षा में अपात्र पाये जाने या अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग से स्वतः ही बाहर हो जायेगा।

काउंसिलिंग या आवंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी विषय एवं संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात् पुनः उसी संस्था में समान विषय की सीट आवंटित नहीं की जायेगी।

(क) प्रथम चरण की काउंसिलिंग में संस्था चयन एवं आवंटन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने या न लेने का विकल्प होगा । प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में अपग्रेड करने का विकल्प उपलब्ध होगा ।

(ख) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पूर्व से प्रवेशित, अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी पात्र होंगे। द्वितीय चरण में आवंटन के उपरांत प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी का सुरक्षा राशि (रजिस्ट्रेशन शुल्क) राजसात कर लिया जाएगा । किन्तु वह मॉपअप राउण्ड (तृतीय चरण) की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र रहेंगे।

(ग) तृतीय चरण (Mop-up Round) की काउंसिलिंग में सभी अप्रवेशित अभ्यर्थी एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे । तृतीय चरण में आबंटन के उपरांत प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन शुल्क राजसात कर लिया जाएगा एवं वह चतुर्थ चरण (स्ट्रे वैकेन्सी) हेतु अपात्र हो जाएंगे ।

(घ) चतुर्थ चरण (स्ट्रे वैकेन्सी) के लिए केवल अनावंटित अभ्यर्थी एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी पात्र होंगे। चतुर्थ चरण के आवंटन के उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क राजसात कर लिया जाएगा एवं अभ्यर्थी आगामी चरण (यदि संपन्न हो तो) एवं आगामी वर्ष की काउंसिलिंग के लिए अपात्र हो जाएगा। काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी CGDME के वेबसाईट पर उपलब्ध की जाएगी।

2.7 **तृतीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन उपरांत सीटों का अंतरण** – किसी भी संवर्ग की सीट रिक्त होने पर प्रथमतः उसे उसी मूल श्रेणी की बिना संवर्ग की सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा। तद्–उपरान्त यदि श्रेणी में भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी राजपत्र 2012 के अनुसार श्रेणी परिवर्तन किया जा सकेगा।

यदि EWS की आरक्षित सीटें EWS के अभ्यर्थी के अभाव अथवा स्नातकोत्तर विषय की सीटें विकल्प न चाहने के कारण रिक्त रहती है तो, उन्हें अनारक्षित सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

2.8 संवीक्षा में आवश्यक दस्तावेज सूची :– अभ्यर्थी को जिस कोटे एवं श्रेणी/संवर्ग की सीट आवंटित की गयी है उसके अनुसार संविक्षा (स्क्रूटनी) में केवल मूल दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं जिस अभ्यर्थी को किसी विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त करना हो, तो उक्त दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत करना उसकी जिम्मेदारी होगी। संवीक्षा के लिए उपस्थित होने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे, किन्तु दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थियों पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी। कोई भी स्क्रूटनी अधिकारी अन्य दस्तावेजों के आधार पर उन्हे योग्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। **(स्पष्टीकरण : जैसे किसी अभ्यर्थी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है तथा उनके पिता छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारी है और अभ्यर्थी ने कक्षा 01 से 12वी तक छत्तीसगढ़ राज्य**

Digitally signed by SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025 18:21:25

में ही अध्ययन किया है, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर उसे वास्तविक निवासी नहीं माना जा सकता। उसे वास्तविक निवासी का प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा।)

i). नीट प्रवेश पत्र (NEET Admit Card)

ii). नीट स्कोर कार्ड (NEET Score Card)

iii). सभी एमबीबीएस *(प्रथम, द्वितीय, तृतीय समस्त भाग)* की अंक सूची इंटर्नशीप सहित।

अथवा

विश्वविद्यालय से जारी की गई एमबीबीएस डिग्री।

iv). किसी भी राज्य मेडिकल कॉउसिल का स्थायी पंजीयन। यदि छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल कॉउसिल का स्थायी पंजीयन नहीं है तो, तीन माह में प्रस्तुत करना होगा।

v) मूल निवासी प्रमाण पत्र। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

vi). छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित जनजाति श्रेणी/अनुसूचित जाति श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमीलेयर श्रेणी के लाभ हेतु *"स्थायी जाति प्रमाण पत्र"*। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमिलेयर हेतु एवं विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र जो तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो अथवा फ़ार्म–16 जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के मापदण्डों के अनुसार हो अथवा

अभ्यर्थी के पालक शासकीय सेवा में हो तो सेवा प्रमाण पत्र जो कि सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय छ.ग. द्वारा जारी मापदण्डों के अनुसार गैर क्रीमी लेयर में होने की पुष्टि करता है।

vii). दिव्यांगजन अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रवेश वर्ष में जारी दिव्यांग/ निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

viii). आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रवेश वर्ष के 31 मार्च के आय गणना के पश्चात् जारी 01 अप्रैल अथवा उसके बाद का जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ix). सेवारत अभ्यर्थी हेतु वांछित सेवा प्रमाण पत्र। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

x). विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र, तीन माह में प्रस्तुत करना होगा! प्रमाण पत्र न होने पर तत्संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें । (यदि प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेशार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो, इस कृत्य की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी)

xi). मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी / चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा जारी)

xii). पाठ्यक्रम के उपरान्त राज्य शासन के अधीन सेवा बाबत् बंध पत्र।

xiii). पाठ्यक्रम की सीट त्यागने पर लागू बॉण्ड राशि बाबत् बंध पत्र।

xiv). सभी दस्तावेजों का दो फोटो कॉपी सेट।

xv). आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे : ड्रायविंग लाईसेंस/ पासपोर्ट/ मतदाता परिचय पत्र)

xvi). पासपोर्ट साईज कलर अथवा ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो 03 प्रति, जो कि एक ही निगेटिव से बनी हो।

xvii). लागू शिक्षण शुल्क एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु 01 वर्ष के शुल्क की बैंक गारंटी।

xviii). एन0आर0आई0संबंधित दस्तावेज :

(1) अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का अभ्यर्थी से अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक में माता या पिता पक्ष से रक्त संबंध की पुष्टि करता हो (जैसे : संबंध पिता, माता, भाई, बड़न, भाई बहन की संतान, चाचा, चाचा की संतान, फूफा, मामा की संतान,

Digitally signed by SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025 18:20:46

मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी से रिश्ता) इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाण पत्र जो कि अभ्यर्थी के निवासरत जिला तहसीलदार कार्यालय या उससे उच्च अधिकारी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया हो। एन.आर.ई. प्रायोजक हेतु समस्त दस्तावेज स्वंय प्रायोजक के ही होना अनिवार्य होगा।

(2) विदेश में निवास का प्रमाण हेतु वहॉ का ग्रीन कार्ड/कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैध वीसा सहित/नागरिकता संबंधित सक्षम दस्तावेज/181 दिन अथवा अधिक का कार्य प्रमाण हेतु दस्तावेज/अन्य कोई सक्षम दस्तावेज जो इस बिन्दु की पूर्ति करता हो।

(3) OCI (Overseas citizen of India) अभ्यर्थी भी सामान्य श्रेणी की NRI सीटों के लिए पात्र होंगे. इस हेतु अभ्यर्थी को OCI (Overseas citizen of India) होने का प्रमाण पत्र/कार्ड प्रस्तुत करना होगा। (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.C. 891 of 2021 dated 03–02–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार)

(4) एन.आर.ई./एन.आर.आई./समकक्ष बैंक एकाउण्ट की बैंक द्वारा सत्यापित स्टेटमेन्ट कॉपी।

(5) जीवित वर्क परमिट जो कि न्यूनतम 181 दिन अथवा अधिक का हो/ग्रीन कार्ड.धारी की कॉपी जो कि बिन्दु क्र. 02 के अनुसार पूर्ति करता हो।

(6) प्रायोजक की आय, सम्बंधित पाठ्यक्रम के शुल्क देने योग्य हो तथा शुल्क का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना होगा। भुगतान की रसीद या संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय की बैंक एकाउण्ट की बैंक द्वारा सत्यापित स्टेटमेन्ट कॉपी प्रवेश पूर्ण होने के 07 दिवस के भीतर के आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

(अतिरिक्त जानकारी हेतु NMC द्वारा जारी नोटिस क्रमांक U-12021/11/2025-MEC दिनांक 24–10–2025 का अवलोकन करें।)

नोट :– स्क्रूटनी की प्रक्रिया में स्क्रूटनी अधिकारी आवश्यक मूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी करते है किसी नियम के तहत किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता तय नहीं करते है। अपनी पात्रता हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होती है।

2.9 सभी पी0जी0 प्रवेशित मेडिकल छात्रों को छत्तीसगढ राज्य की छत्तीसगढ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

प्रवेश उपरान्त एक माह की समय सीमा के अंतर्गत छत्तीसगढ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा वांछित शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2.10 महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से डिग्री हेतु तीन वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। अभ्यंर्थी को सम्पूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रैक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा अमान्य होगी।

2.11 छात्रों को शैक्षणिक सत्र की कालावधि में अवकाश की पात्रता एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुसार होगी।

2.12 चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के नियमित अभ्यर्थी यदि अनाधिकृत रूप से लगातार 30 दिवस या उससे अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकेगा।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:20:08

सेवारत अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित अवधि में अनाधिकृत अवकाश उपरान्त पाठ्यक्रम निष्कासन सहित छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित नियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

निष्कासित अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार बंध पत्र की राशि का भुगतान भी किया जाना होगा।

2.13 पाठयक्रम पूर्ण करने उपरान्त सेवारत अभ्यर्थियों की विभाग में वापसी – पीजी डिग्री पाठयक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह है पाठयक्रम/अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढाया नहीं जाएगा। प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि पूर्व में प्रसूति अवकाश में स्टायपण्ड का भुगतान किया जा चुका तो इस अवधि के लिये कोई स्टायपण्ड अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:19:38
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 जनवरी 2026 — माघ 2, शक 1947

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/205/2025-MED.— छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्रं. 28 सन् 2002) की धारा–3 सहपठित धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम–11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''11. प्रवेश हेतु सीटों का विभाजन :–

(क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों में अखिल भारतीय कोटे हेतु समर्पित की गई 50 प्रतिशत सीटों के उपरांत, शेष उपलब्ध 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों पर वे पंजीकृत अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण किया है अथवा जो छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत अभ्यर्थी हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(ख) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों में कुल सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर वे पंजीकृत अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण किया है अथवा जो छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत अभ्यर्थी हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

शेष उपलब्ध 50 प्रतिशत सीटों को प्रावीण्यता के आधार पर ओपन सीटों की भांति आवंटित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण नहीं किया है (गैर संस्थागत अभ्यर्थी), पात्र होंगे।

(ग) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की 50 प्रतिशत ओपन सीटों पर भी राज्य में प्रचलित आरक्षण नियम–6 लागू होगा।

(घ) यदि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटों के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं एवं सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो काउंसिलिंग की तृतीय चरण की आवंटन प्रक्रिया के समय उन रिक्त सीटों को रूपांतरित (Conversion) करते हुए उन्हें गैर संस्थागत अभ्यर्थियों को आवंटित किया जा सकेगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लविना पाण्डेय, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 2018/चैत्र 15, 1940
No. 144] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2018/CHIATRA 15, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018

सं. भा.आ.प.-18(1)/2018-मेड./100818.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

1. (i) ये विनियम, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018" कहे जाएंगे।

 (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करना और उनकी मान्यता" शीर्षक के अंतर्गत खंड 6(1), (2) और (3) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

 "(1) कोई स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने या पहले से चल रहे पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने का इच्छुक कोई संस्थान, अधिनियम की धारा 10 क के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करेगा। स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई पूर्वानुमति क्रमश: चार और तीन शैक्षिक वर्षों के लिए होगी।

 परंतु यह कि मेडिकल कालेजों/संस्थानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे मान्यता प्रदान किए जाने के तीन वर्ष अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में की गई एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता के शामिल किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के अंदर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आंरभ करने के लिए आवेदन करें। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अनुबद्ध समय के अंदर आवेदन करने में विफल रहने पर, एम बी बी एस शैक्षिक योग्यता की मान्यता वापस लेनी आवश्यक हो जाएगी।

परंतु यह भी कि कोई ऐसे मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान, जो अननुमोदन की स्थिति में कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन करने के आगामी वर्षों के लिए दो और अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके पश्चात केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने में विफल रहने पर, एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता की मान्यता वापस लेनी आवश्यक हो जाएगी।

परंतु यह भी कि मौजूदा कालेजों को आवेदन करने का समय उपलब्ध कराने की दृष्टि से, उपर्युक्त, शैक्षिक वर्ष 2020-21 से प्रस्तुत की गई योजना पर लागू होगा।

(2) संस्थान, स्नातकोत्तर चिकित्सा शैक्षिक योग्यता की मान्यता के लिए संबद्धन विश्वविद्यालय के जरिए केंद्र सरकार को आवेदन करेगा, जब दाखिल किया गया प्रथम बैच, संबद्धन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए नियत होगा।

मूल्यांकन में कमियां पाए जाने की स्थिति में संस्थान को, परिषद् द्वारा कमियों के संसूचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुपालन प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। कमियों का अनुपालन करने के ऐसे अवसर का लाभ संस्थान द्वारा केवल दो बार लिया जाएगा। अनुपालन के संतोषजनक पाए जाने पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति, पाठ्यक्रम को मान्यता देने की अनुशंसा संसूचित करेगी। अन्य सभी मामलों में, उप-खंड (1) के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्र सरकार की पूर्वानुमति, स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए क्रमश: चार और तीन वर्षों के पश्चात व्ययगत हुई मानी जाएगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, केंद्र सरकार से, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के केवल प्रथम चार बैचों और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तीन बैचों के संबंध में, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में शैक्षिक योगयताएं शामिल करने की अनुशंसा की जाएगी।

(3) उप-खंड 2 में यथा अपेक्षित समय से मान्यता प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला बंद कर दिया जाएगा।

मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त करने में संस्थान के विफल रहने की स्थिति में, परिषद् केंद्र सरकार से निवारक शास्ति लगाने की अनुशंसा कर सकती है, जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रति सीट दस लाख रुपये और/या संस्थान के अन्य स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के बंद किए जाने और/या किसी विनिदितर अवधि के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने या सीटों में वृद्धि करने के लिए आवेदन करने से संस्थान को विवर्जित करने और/या एमबीबीएस में प्रवेश क्षमता को कम करने तक हो सकती है।"

3. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "सामान्य" शीर्षक के अंतर्गत खंड 8(1) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारंभण से पहले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त चिकित्सा संस्थान, आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक (एम बी बी एस) पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित चिकित्सा संस्थान, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम आंरभ करने या पहले से चल रहे किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के पात्र होंगे।

परंतु यह कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यता प्रदान न किए गए मेडिकल कालेजों के लिए यह अनुमति होगी कि वे तीसरे नवीनीकरण के समय अर्थात एमबीबीएस पाठ्यक्रम के चौथे बैच के दाखिले के साथ प्रि-नैदानिक और पारा-नैदानिक विषयों नामत: शरीररचना-विज्ञान; शरीरक्रिया-विज्ञान; जीवरसायन; भेषज-विज्ञान; रोग-विज्ञान; सूक्ष्मजीव-विज्ञान; फारेंसिक मेडिसन; और कम्यूनिटी मेडिसिन में और चौथे नवीनीकरण के समय अर्थात एमबीबीएस पाठ्यक्रम के

लिए पांचवे बैच के दाखिले के साथ नैदानिक विषयों नामत: निश्चेतना संचेतनाहर-विज्ञान; त्वचारोग-विज्ञान; रतिजरोग विज्ञान एवं कुष्ट रोग; जनरल मेडिसिन, बालरोग; मनश्चिकित्सा; विकिरण निदान; रेडिएशन ऑनकोलोजी; श्वसनी मेडिसन; नाक-कान-गला रोग-विज्ञान; जनरल सर्जरी; नेत्ररोग-विज्ञान; अस्थि रोग; प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान में किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन कर सकें।"

4. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी के चयन की प्रक्रिया" शीर्षक के अंतर्गत विनियम 9 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"प्रस्तावना

1. भारत की संसद ने, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 को संशोधित कर दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात यह संशोधन अधिनियम, 5 अगस्त 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में धारा 10 घ और धारा 33 (ड ख) जोड़ दी है। उक्त उपबंध में, "नामित प्राधिकारी" द्वारा स्नातक-पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों में एक समान प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था दी गई है। इस संशोधन के बल पर संसद ने, दिनांक 27 दिसंबर, 2010, 27 फरवरी, 2012 और 23 अक्तूबर, 2012 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित संशोधनों द्वारा "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में शामिल की गई राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (जिसे इसमें आगे "नीट" कहा गया है) की विधायी पुनीतता का उपबंध किया है।
2. पहले, नीट से संबंधित उपबंध, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर और अन्य [2012 की टीसी (सी) संख्या 98 और 114 अन्य संबंधित याचिकाओं] के मामले में दिनांक 18 जुलाई, 2013 के अपने निर्णय के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और भारत की संघ सरकार द्वारा दायर की गई एक पुनर्विचार याचिका पर माननीय उच्चतम नयायालय ने, 'भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर और अन्य' शीर्षक वाली 2013 की पुनर्विचार याचिका (सिविल) संख्या 2059-2268 में दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के अपने आदेश के अंतर्गत नीट विनियमावली को पुनरजीवित कर दिया। शैक्षिक वर्ष 2017-18 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरजीवित नीट विनियमावली के आधार पर और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा है और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा बनी रहेगी।

9. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:-

(1) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा नामत: 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' होगी और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र पग्रवेक्षण के अधीन आयोजित की जाएगी।

(2) "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" आयोजित करने के लिए 'नामित प्राधिकारी' राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित कोई अन्य निकाय/संगठन होगा।

(3) किसी शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु पात्र बनने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित की गई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में 50 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक प्राप्त करे। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम अंक 40 वें पर्सेंटाइल पर होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बैंच मार्क विकलांगताओं वोले अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए 45 वें पर्सेंटाइल पर और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.के लिए 40 वें पर्सेंटाइल पर होंगे। पर्सेंटाइल, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में अखिल भारतीय सामूहिक मेरिट सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

परंतु यह कि जब संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले कि लिए किसी शैक्षिक वर्ष हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में यथा विनिर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से केंद्र सरकार अपने विवेक पर, संबंधित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक कम कर सकती है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए अंक केवल उसी शैक्षिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(4) संबंधित श्रेणियों के लिए, मेडिकल कालेजों/संस्थानों में सीटों का आरक्षण, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचलित लागू होने वाले कानूनों के अनुसार होगा। पात्र अभ्यर्थियों की अखिल भारतीय मेरिट सूची और राज्य-वार मेरिट सूची, 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और अभ्यर्थियों को केवल उक्त मेरिट सूचियों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल किया जाएगा।

परंतु यह कि ऐसे अभ्यर्थियों, जो सरकार/लोक प्राधिकरण की सेवा में हैं, की मेरिट निर्धारित करने में, 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% तक, दूर-दराज के और/या दूर्गम्य क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए, प्राप्त अंकों के 10% तक एक प्रोत्साहन के रूप में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकों में भारांश दिया जा सकता है। दूर-दराज के और/या दूर्गम्य क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र वह होंगे जो समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए गए हों।

(5) वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5% सीटें, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क विकलांगताओं वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।

किसी शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु पात्र बनने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित की गई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में 50 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक प्राप्त करे। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में 40 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अविनिर्दिष्ट बैंच मार्क विकलांगताओं वोले अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक 45 वें पर्सेंटाइल पर और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.के लिए 40 वें पर्सेंटाइल पर होंगे।

(6) किसी ऐसे अभ्यर्थी, जो ऊपर उप-खंड (3) में यथा विनिर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, को उक्त शैक्षिक वर्ष में किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा।

(7) गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में, कुल सीटों में से 50% (पचास प्रतिशत) सीटें राज्य सरकार या उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा भरी जाएंगी और शेष 50% (पचास प्रतिशत) सीटें "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश-परीक्षा" में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट सूची के अनुसार संबंधित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा भरी जाएंगी।

(8) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें, सरकारी सेवा में ऐसे चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने दूर-दराज के और/या दुर्गम्य क्षेत्रों और/या ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा की है।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात ये चिकित्सा अधिकारी, समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा परिभाषित दूर-दराज के और/या दूर्गम्य क्षेत्रों में दो और वर्ष तक सेवा करेंगे।

(9) विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकारी, दाखिले की प्रक्रिया ऐसे तरीके से आयोजित करेंगे कि सामान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में हर वर्ष 1 मई तक और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में 1 अगस्त तक अध्यापन आरंभ हो जाए। इस उद्देश्य के लिए वे परिशिष्ट III में दर्शायी गई समय अनुसूची का पालन करेंगे।

(10) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 31 मई के पश्चात और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के लिए 31 अगस्त के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी शैक्षिक सत्र के संबंध में छात्रों का कोई दाखिला नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय उक्त तारीखों के पश्चात दाखिल किए गए किसी छात्र का पंजीकरण नहीं करेंगे।

(11) कोई भी प्राधिकारी/संस्थान, इन विनियमों द्वारा यथा विनिर्धारित मापदंड/प्रक्रिया का उल्लंघन करके और/या दाखिलों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उल्लंघन करके, किसी स्नातकोत्तर मेडिसिन पाठ्यक्रम में किसी अभ्यर्थी को दाखिल नहीं करेगा। उपर्युक्त का उल्लंघन करके दाखिल किए गए किसी अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा तुरंत निकाल दिया जाएगा। ऐसे प्राधिकारी/संस्थान, जो इन विनियमों और/या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उल्लंघन करके किसी छात्र को दाखिला प्रदान करता है, उसके विरूद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी जो परिषद् द्वारा विनिर्धारित की जाए, जिसमें आगामी शैक्षिक वर्ष/वर्षों के लिए उसकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता से, किए गए ऐसे दाखिलों की सीमा के समतुल्य सीटों का अभ्यर्पण शामिल है।"

5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली में 9 क (3) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोडा जाएगा:-

9 क (4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सामूहिक परामर्श में सीट ब्लाकिंग और परामर्श के दौरान नया विकल्प चुनने की अनुमेयता रोकने की दृष्टि से, शुल्क की जब्ती, परिशिष्ट-III में दिए गए मापदंडों के अनुसार होगी।

6. " स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में, स्टाफ संकाय शीर्षक के अंतर्गत खंड 11.1 (क) में निम्नलिखित अभिवर्धन किया जाएगा, दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

"न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ (सामान्य विशेषज्ञता):
(प्रथम इकाई)
1-प्रोफेसर
1-एसोसिएट प्रोफेसर
1-सहायक प्रोफेसर
1-वरिष्ठ रेजीडेंट
2-कनिष्ठ रेजीडेंट

विभाग की बाकी इकाइयों (बहु-इकाई विभागों में) का अध्यक्ष प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है और बाकी दो संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ रेजीडेंट तथा दो कनिष्ठ रेजीडेंटों के अलावा सहायक प्रोफेसर हो सकते हैं।

उपर्युक्त परिभाषा, श्वसनी मेडिसन/त्वचारोग-विज्ञान, रतिजरोग-विज्ञान, कुष्ठ रोग/नेत्ररोग-विज्ञान/नाक कान गला रोग-विज्ञान आदि जैसे दिवा देखभाल सेवाओं वाले विभागों/गंभीर देखभाल वाले विभागों पर लागू नहीं होगी। परिषद् ने स्नातकोत्तर में सभी विभागों में रेजीडेंटों की शर्त शामिल करने का भी निर्णय लिया है।

7. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में 'स्टाफ संकाय' शीर्षक के अंतर्गत खंड 11.1 (ख) में निम्नलिखित अभिवर्धन किया जाएगा, तीसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

"न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ (अति विशेषज्ञता):
(प्रथम इकाई)
1-प्रोफेसर
1-एसोसिएट प्रोफेसर
1-सहायक प्रोफेसर
1-वरिष्ठ रेजीडेंट
2-कनिष्ठ रेजीडेंट

विभाग की बाकी इकाइयों (बहु-इकाई विभागों में) का अध्यक्ष, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है और बाकी दो संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ रेजीडेंट तथा दो कनिष्ठ रेजीडेंटों के अलावा सहायक प्रोफेसर हो सकते हैं।

8. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "दाखिल किए जाने वाले स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या" शीर्षक के अंतर्गत खंड 12(1) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा/उसमें निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

दूसरे पैराग्राफ में "रेडियोथेरेपी" शब्द "रेडिएशन ऑनकोलॉजी" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तीसरे पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

"यह भी कि गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों में उक्त अनुपात के आधार पर सीटों की वृद्धि के लिए किए गए आवेदनपत्र पर केवल तभी विचार किया जाएगा, यदि उस कॉलेज/संस्थान की-

1. 15 वर्ष की स्टैंडिंग है;
2. वह 10 वर्ष से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाला होना चाहिए;
3. उसे मान्यता के मूल्यांकन की कम से कम एक निरंतरता संतोषजनक ढंग से पूरी कर लेनी चाहिए; और
4. यदि वह सीटों की वृद्धि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10क के अंतर्गत आवेदन करता है जो केवल संकाय सदस्य, रेजिडेंट, नैदानिक सामग्री और अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि के वास्तविक सत्यापन के पश्चात ही प्रदान की जाएगी।

9. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "प्रशिक्षण कार्यक्रम" शीर्षक के अंतर्गत खंड 13(2) की तीसरी पंक्ति में "प्रत्येक शैक्षिक वर्ष" शब्द निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

"6 महीने की शैक्षिक अवधि"

10. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "परीक्षा" शीर्षक के अंतर्गत खंड 14 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"डिग्री की परीक्षाओं के लिए सभी चार प्रश्नपत्रों और डिप्लोमा परीक्षा में तीन प्रश्नपत्रों में सिद्धांत के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40% और संचयी रूप से कम से कम 50% अंक प्राप्त करना। उक्त डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा, जैसा भी मामला हो, में कुल मिलाकर, उत्तीर्ण होने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में परिशिष्ट में, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (सामान्य विशेषज्ञता) के लिए शैक्षिक वर्ष 2018-19 में दाखिला अनुसूची के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी:-

टिप्पणी:-

1. कार्य आंरभ की अंतिम तारीख अर्थात 10 मई के पश्चात खाली बची अखिल भारतीय कोटा सीटें, राज्य सरकार के कोटे में परिवर्तित मानी जाएगी।
2. 28 फरवरी के पश्चात अनुमत संस्थान/कालेज/पाठ्यक्रमों पर चालू शैक्षिक वर्ष के लिए दाखिले/सीटों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी परिस्थितियों में, दाखिले/कार्य आरंभ की अंतिम तारीख, 31 मई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।
4. उपर्युक्त समय-सारणी का निष्ठापूर्वक पालन करने के उद्देश्य के लिए शनिवार, रविवार या अवकाशों (राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर) को कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा।
5. परामर्श के दौरान नया विकल्प चुनने की छात्रों की अनुमेयता के संबंध में निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे:

चक्र	नि:शुल्क निर्गमन	शुल्क की जब्ती के साथ निर्गमन	आगे परामर्श के लिए अपात्र	पंजीकरण शुल्क की धनराशि
ए.आई.क्यू.I/ मानित	✓			
ए.आई.क्यू.II/मानित		यदि कार्य आंरभ नहीं किया	यदि कार्य आंरभ कर दिया	सरकारी-25,000/- रु. (अ.जा./अ. ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) मानित 2,00,000/- रुपये
राज्य कोटा I	✓			
राज्य कोटा II		यदि कार्य आंरभ नहीं किया	यदि कार्य आंरभ कर दिया	सरकारी-25,000/- रु. (अ.जा./अ. ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) प्राइवेट 2,00,000/- रुपये
राज्य कोटा मोप-अप			✓	
मानित मोप-अप			✓	

12. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" की अनुसूची में, क्रम संख्या 25 पर खंड 'क' के अंतर्गत 'एम डी (रेडियोथेरेपी)" का नाम बदल कर निम्नलिखित किया जाएगा:-

"एम डी (रेडिएशन ऑनकोलोजी)"

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन III/4/असा./18/17]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामत: "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010 09/02/2012, 27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013, 01/02/2016, 17/06/2016, 08/08/2016, 31/01/2017, 11/03/2017, 06/05/2017, 27/06/2017 और 31/07/2017 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2018

No. MCI-18(1)/2018-Med./100818.— In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000." namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2018".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Clause 6(1), (2) & (3) under the heading "Starting of postgraduate Medical Courses and their recognition" of the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", shall be substituted as under:-

"(1) An institution intending to start a post-graduate medical education course or to increase the annual intake capacity in an already ongoing course shall obtain the prior permission of the Central Government under section 10A of the Act. The prior permission granted by the Central Government for Postgraduate Degree/Postgraduate Diploma courses shall be for four and three academic years respectively

Provided that it shall be incumbent upon Medical Colleges/Medical Institutions to make an application for starting of Post-graduate medical education courses within three years of grant of recognition, i.e., three years from the date of inclusion of the MBBS qualification awarded by the Medical College in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956. Failure to make an application for starting of Postgraduate courses within the stipulated time shall entail the withdrawal of recognition of MBBS qualification.

Provided further that a Medical College/Medical Institution that makes an application for starting of a Postgraduate course in the eventuality of disapproval shall be granted two more opportunities for the succeeding years to make an application. Failure to obtain permission of the Central Government thereafter shall entail the withdrawal of Recognition of MBBS qualification."

Provided further that above shall be applicable to the scheme submitted from the academic year 2020-21 onwards, in order to provide time to the existing colleges to apply.

(2) The Institution shall apply for recognition of the Post Graduate Medical qualification to the Central Government through the affiliating University, when the first admitted batch shall be due to appear for the examination to be conducted by the affiliating University.

In the event of deficiencies being found in the assessment, the Institution shall be granted an opportunity to submit compliance within 30 days from the date of communication of deficiencies by the Council. Such an opportunity to comply with the deficiencies shall be availed by the Institute only twice. The Postgraduate Medical Education Committee on finding the compliance satisfactory shall convey the recommendation to recognize the course. In all others cases, the prior permission of the Central Government granted under sub-clause (1) shall be deemed to have lapsed after four and three years for Postgraduate Degree/Postgraduate Diploma courses respectively. Further, in such cases; recommendation shall be made to the Central Government to include the qualifications in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956 only in respect of first four batches of Postgraduate Degree Courses and three batches of Postgraduate Diploma courses.

(3) Failure to seek timely recognition as required in sub-clause 2 shall invariably result in stoppage of admission to the concerned Post Graduate course.

In the event of failure of the institute to seek recognition for existing Post Graduate courses, the Council may recommend to the Central Government for imposition of exemplary penalty which may extend to Rupees ten lakhs per seat of the postgraduate course; and/or stoppage of other postgraduate Medical courses of the Institution; and/or debar the Institution from making any application for starting or increase of seats in postgraduate courses for a specified period; and/or reducing the intake capacity in MBBS."

3. Clause 8(1) under the heading "General" of the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", shall be substituted as under:-

"The Medical Institution recognized under the Indian Medical Council Act, 1956 for running post-graduate courses prior to the commencement of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 1993; the Medical

Colleges recognised for running Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) course; and the Medical Institutions established by the Central Government for the purpose of imparting postgraduate medical education shall be eligible for starting a post-graduate medical education course or to increase the intake capacity in any already ongoing postgraduate medical education course.

Provided that it shall be permissible for Medical Colleges not yet recognized for the award of MBBS degree under the Indian Medical Council Act, 1956 to apply for starting of a Post-graduate medical education course in pre clinical and para clinical subjects, namely, Anatomy; Physiology; Biochemistry; Pharmacology; Pathology; Microbiology; Forensic Medicine; and Community Medicine at the time of third renewal i.e., alongwith the admission of fourth batch for the MBBS course; and in clinical subjects, namely, Anaesthesiology; Dermatology, Venerology and Leprosy; General Medicine; Paediatrics; Psychiatry; Radio-diagnosis; Radiation Oncology; Respiratory Medicine; Otorhinolaryngology; General Surgery; Ophthalmology; Orthopaedics; Obstetrics & Gynaecology, at the time of fourth renewal, i.e., along with the admission of fifth batch for the MBBS course."

4. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", in Regulation 9 under the heading "Procedure for selection of candidate for Postgraduate courses" shall be substituted as under:-

Preamble

1. The Parliament of India has amended the Indian Medical Council Act, 1956 by the Indian Medical Council (Amendment) Act 2016. This Amendment Act after receiving the assent of the President has been notified in the Gazette of India on 5th August 2016. The Indian Medical Council (Amendment) Act 2016 has inserted section 10 D and section 33 (mb) to the Indian Medical Council Act, 1956. The said provision provides for a uniform entrance examination to all medical educational institutions at the under graduate level and post graduate level by the "designated authority". By virtue of this Amendment the Parliament has provided legislative sanctity to the National Eligibility-Cum-Entrance Test [hereinafter "NEET"] included in the Post-Graduate Medical Education Regulations,1997 by Amendments notified in the Official Gazette on 27th December 2010, 27th February 2012 and 23rd October 2012.

2. Earlier the provisions relating to NEET were quashed by the Hon`ble Supreme Court vide its judgment dated 18th July 2013 in Christian Medical College Vellore & Ors. (TC (C) No. 98 of 2012 and other 114 connected petitions). However, on a Review Petition preferred by the Medical Council of India and the Union of India, the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 11th April 2016 in Review Petition (c) Nos. 2059-2268 of 2013 captioned as Medical Council of India vs. Christian Medical College Vellore & Ors. has revived NEET Regulations. The admission to postgraduate courses for the academic year 2017-18 were conducted on the basis of provisions of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016 and the NEET Regulations revived by the Hon`ble Supreme Court and in the Terms of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016 the National Eligibility-cum-Entrance Test is the uniform entrance examination to all medical educational institutions at the post graduate level and shall continue to be the uniform entrance examination to all medical educational institutions at the post graduate level.

9. Procedure for selection of candidate for Postgraduate courses shall be as follows:-

(1) There shall be a uniform entrance examination to all medical educational institutions at the Postgraduate level namely 'National Eligibility-cum-Entrance Test' for admission to postgraduate courses in each academic year and shall be conducted under the overall supervision of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India.

(2) The "designated authority" to conduct the 'National Eligibility-cum-Entrance Test' shall be the National Board of Examination or any other body/organization so designated by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

(3) In order to be eligible for admission to Postgraduate Course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'National Eligibility-Cum-Entrance Test for Postgraduate courses' held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for SC/ST/OBC**.** The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All India Common merit list in National Eligibility-cum-Entrance Test for Postgraduate courses.

Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test held for any academic year for admission to Postgraduate Courses, the Central Government in consultation with Medical Council of India may at its

discretion lower the minimum marks required for admission to Post Graduate Course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the academic year only.

(4) The reservation of seats in Medical Colleges/institutions for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in States/Union Territories. An all India merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test and candidates shall be admitted to Postgraduate Courses from the said merit lists only.

Provided that in determining the merit of candidates who are in service of government/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/Competent Authority as an incentive upto 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas or Rural areas upto maximum of 30% of the marks obtained in National Eligibility-cum Entrance Test. The remote and/or difficult areas or Rural areas shall be as notified by State Government/Competent authority from time to time.".

(5) 5% seats of annual sanctioned intake capacity shall be filled up by persons with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, based on the merit list of National Eligibility-Cum-Entrance Test for admission to Postgraduate Medical Courses.

In order to be eligible for admission to Postgraduate Course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50thpercentile in the 'National Eligibility-Cum-Entrance Test for Postgraduate courses' held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for SC/ST/OBC**.**

(6) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as prescribed in Sub-Clause (3) above shall be admitted to any Postgraduate courses in the said academic year.

(7) In non-Governmental medical colleges/institutions, 50% (Fifty Percent) of the total seats shall be filled by State Government or the Authroity appointed by them, and the remaining 50% (Fifty Percent) of the seats shall be filled by the concerned medical colleges/institutions on the basis of the merit list prepared as per the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test."

(8) 50% of the seats in Postgraduate Diploma Courses shall be reserved for Medical Officers in the Government service, who have served for at least three years in remote and /or difficult areas and / or Rural areas. After acquiring the Postgraduate Diploma, the Medical Officers shall serve for two more years in remote and /or difficult areas and / or Rural areas as defined by State Government/Competent authority from time to time.

(9) The Universities and other authorities concerned shall organize admission process in such a way that teaching in broad speciality postgraduate courses starts by 1st May and for super speciality courses by 1st August each year. For this purpose, they shall follow the time schedule indicated in Appendix-III.

(10) There shall be no admission of students in respect of any academic session beyond 31st May for postgraduate courses and 31st August for super speciality courses under any circumstances. The Universities shall not register any student admitted beyond the said date.

(11) No authority / institution shall admit any candidate to any postgraduate medicine course in contravention of the criteria / procedure as laid down by these Regulations and / or in violation of the judgements passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of admissions. Any candidate admitted in contravention / violation of aforesaid shall be discharged by the Council forthwith. The authority / institution which grants admission to any student in contravention / violation of the Regulations and / or the judgements passed by the Hon'ble Supreme Court, shall also be liable to face such action as may be prescribed by the Council, including surrender of seats equivalent to the extent of such admission made from its sanctioned intake capacity for the succeeding academic year / years.".

5. In the Postgraduate Medical Education Regulations following clause shall be added after 9A(3):-

9A(4) In order to prevent seat blocking in common counseling for admission to Postgrauate Courses and permissibility to exercise fresh choice during Counseling, forfeiture of fee shall be in accordance with the matrix contained in appendix-III.

6. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", the following additions in clause 11.1(a) under the heading Staff – Faculty, the following shall be added after the second proviso:

Minimum staff required (Broad speciality):

(First Unit)

1-Professor

1-Associate Professor

1- Assistant Professor

1-Senior Resident

2-Junior Resident

Remaining units of the department (in multi unit departments) can be headed by Professor or Associate Professor and remaining two faculties can be Assistant Professor in addition to one Senior Resident and two Junior Resident.

The above definition shall not apply to the Departments of Critical Care/Departments with day care services such as Respiratory Medicine/ Dermatology Venereology Leprosy/Ophthalmology/Otorhinolaryngology etc. The Council also decided to include the requirement of Residents in all departments in the Postgraduate..

7. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", the following additions in clause 11.1(b) under the heading Staff – Faculty, the following shall be added after the third proviso:

Minimum staff required (Super-speciality):

(First Unit)

1-Professor

1-Associate Professor.

1- Assistant Professor

1-Senior Resident

2-Junior Resident

Remaining units of the department (in multi-unit departments) can be headed by Professor or Associate Professor and remaining two faculties can be Assistant Professor in addition to one Senior Resident and two Junior Resident.

8. Clause 12(1) under the heading "Number of Postgraduate students to be admitted " of the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", following shall be substituted/added:-

The word Radiotherapy shall be substituted as "Radiation Oncology" in 2nd paragraph

After Third paragraph following shall be added:-

Provided further that in non-governmental Medical Colleges/Medical Institution, the application for increase of seats on the basis of said ratio shall be considered only if the College/Institute:-

1. Has a standing of 15 years
2. Should be running the Postgraduate course since 10 years
3. Should have completed atleast 1 continuance of recognition assessment satisfactorily and
4. Applies u/s 10A of the Indian Medical Council Act, 1956 for increase of seats which would be granted only after physical verification of faculty, resident, clinical material and infrastructural facilities etc.

9. Clause 13(2) under the heading "TRAINING PROGRAMME" of the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", in third line "each academic year" shall be substituted as under:-

"Academic Term of 6 months"

10. Clause 14 under the heading "EXAMINATION" of the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", following shall be substituted as under:-

Obtaining a minimum of 40% marks in each theory paper and not less than 50% cumulatively in all the four papers for degree examinations and three papers in diploma examination. Obtaining of 50% marks in Practical examination shall be mandatory for passing the examination as a whole in the said degree/diploma examination as the case may be.

11. In the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, in appendix the following note shall be added below the Admission schedule from the academic year 2018-19 onwards for Postgraduate Courses (broad Speciality):-

Note:

1. All India Quota Seats remaining vacant after last date for joining, i.e 10th May will be deemed to be converted into State Quota.
2. Institute/College/Courses permitted after 28th February will not be considered for admission/allotment of seats for current academic year.
3. In any circumstances, last date for admission/joining will not be extended after 31st May.
4. For the purpose of ensuring faithful obedience to the above time-schedule, Saturday, Sunday or Holidays (except National Holiday) shall be treated as working day.
5. The following Matrix shall be applicable with regard to permissibility to students to exercise fresh choice during counseling: -

Round	Free Exit	Exit with forfeiture of fees	Ineligible for further counselling	Amount of registration fee
AIQ I/Deemed	✓			
AIQ II / Deemed		If not joined	If joined	Government – Rs. 25,000 (half for SC/ST/OBC) Deemed – Rs. 2,00,000
State Quota I	✓			
State Quota II		If not joined	If joined	Government – Rs. 25,000 (half for SC/ST/OBC) Private – Rs. 2,00,000
State Quota Mop- Up			✓	
Deemed Mop-Up			✓	

12. In Schedule of the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, under Clause "A" at Sl.No. 25, the nomenclature of "MD(Radio-Therapy)" is changed to

"MD (Radiation Oncology)".

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)
[ADVT. III/4/Exty./18/17]

Footnote: The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th Oct., 2000 and amended *vide* Medical Council of India Notification dated 03/03/2001; 06/10/2001; 16/03/2005; 23/03/2006; 20/10/2008; 25/03/2009; 21/07/2009; 17/11/2009; 09/12/2009; 16/04/2010; 08/12/2010; 27/12/2010; 09/02/2012; 27/02/2012; 28/03/2012; 17/04/2013; 01/02/2016; 17/06/2016; 08/08/2016; 31/01/2017; 11/03/2017; 06/05/2017; 27/06/2017 and 31/07/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.